



State Level Environment Impact Assessment Authority, M. P.
(Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel: 0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 1367 / SEIAA/22

Date: 16/8/22

कार्यालय आदेश

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के कार्यालय आदेश क्र. 1660-61/SEIAA/2021 दिनांक 16.08.2021 के परिपालन में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर परियोजनावार निम्न प्रक्रिया शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं (Construction Project/Area Development Projects)

क्र.	निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1.	50,000 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर तक विकास क्षेत्र	79,860 / -
2.	50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,59,720 / -
3.	1,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 150 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	2,39,580 / -
4.	1,50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 3,00,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	3,19,440 / -
5.	3,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 200 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	3,99,300 / -

औद्योगिक, नदी घाटी एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएं (Industrial, River Valley and Other Non-Mining Projects)

क्र.	परियोजना में कुल पूंजी निवेश (रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1.	25 करोड़ तक	79,860 / -
2.	25 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के भीतर	1,19,790 / -
3.	50 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के भीतर	1,59,720 / -
4.	100 करोड़ से ज्यादा और 300 करोड़ के भीतर	1,99,650 / -
5.	300 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ के भीतर	2,66,200 / -
6.	500 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ के भीतर	3,99,300 / -
7.	1000 करोड़ से अधिक	5,32,400 / -

[Signature]

[Signature]

प्रमुख खनिज उत्खनन (Major Mineral Mining)

क्र.	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	05 हैक्टेयर तक	26,620 /—
2.	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	53,240 /—
3.	25 हैक्टेयर से ज्यादा और 50 हैक्टेयर के भीतर	79,860 /—
4.	50 हैक्टेयर से ज्यादा और 75 हैक्टेयर के भीतर	1,33,100 /—
5.	75 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर	1,99,650 /—

गौण खनिज उत्खनन (Minor Mineral Mining)

क्र.	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	05 हैक्टेयर तक	26,620 /—
2.	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	53,240 /—
3.	25 हैक्टेयर से ज्यादा और 50 हैक्टेयर के भीतर	79,860 /—
4.	50 हैक्टेयर से ज्यादा और 75 हैक्टेयर के भीतर	1,33,100 /—
5.	75 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर	1,99,650 /—

अन्य प्रकरण

क्र.	भवन निर्माण, क्षेत्र विकास, औद्योगिक, नदी घाटी, खनन एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएँ	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1.	संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति (Revised EC), अंतरण/हस्तांतरण (EC/ToR Transfer), EC and TOR वैधता की अवधि विस्तार (Extention of EC/TOR Validity), कम्पनी के विलयीकरण (Amalgamation of Companies) आदि	26,620 /—

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर उक्त प्रक्रिया शुल्क की राशि कार्यपालन संचालक, एफको के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में देय होगी। आगामी वर्ष से सिया के प्रक्रिया शुल्क में आदेश दिनांक से प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाती है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. /SEIAA/2022 दिनांक —

प्रतिलिपि :-

- स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- निज सचिव, महानिदेशक एफको, भोपाल।
- नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण भोपाल।
- लेखाधिकारी, एफको भोपाल।
- प्रशासनिक अधिकारी, एफको भोपाल।
- प्रशासनिक शाखा, SEIAA भोपाल।
- सर्व संबंधित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सदस्य सचिव